<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> {समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

<u>आप.प्र.क. : 1177 / 2014</u> संस्थित दि: 21 / 11 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आबकारी वृत्त बैहर,	
जिला बालाघाट (म.प्र.)	अभियोगी
विरुद्ध	
सुनिताबाई पति सरवन, उम्र 24 साल, जाति गोंड,	
निवासी बिरवा (सरईटोला) थाना बैहर, जिला बालाघाट	(म.प्र.)
12 TEO	आरोपी
—:: निर्णय ::—	

आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि

आरोपी दिनांक 26/11/2014 को समय 11:00 बजे स्थान बिरवा (सरईटोला) थाना बैहर के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की जरीकेन में पांच लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पायी गई। (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आबकारी उपनिरीक्षक ए.के.माहोरे को दिनांक 26.11.2014 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बिरवा (सरईटोला) में रहने वाली सुनिताबाई अपने कब्जे में अवैध रूप से शराब रखे हुये है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर समयाभाव के कारण बिना तलाशी वारण्ट प्राप्त कर हमराह स्टाफ को साथ मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक की जरीकेन में पांच लीटर कच्ची महुआ शराब पायी गई। आरोपी से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने

(01)

लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी से उक्त शराब को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के विरूद्ध 230 / 14 की कायमी कर आवकश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- (03) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-
 - (अ) क्या आरोपी दिनांक 26/11/2014 को समय 11:00 बजे स्थान बिरवा (सरईटोला) थाना बैहर के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की जरीकेन में पांच लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पायी गई?

—:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::—

- (05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- (08) आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में

दोषसिद्ध पाते हुए 600/- (छः सौ रूपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।

- अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह (09)के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।
- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। (10) अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,

